

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 (संशोधन सहित)

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल संभाग पौड़ी।

पत्रांक 1703/से0का0अधि0/2017

दि0-05-03-2017

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,  
पौड़ी गढ़वाल।

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी  
दूरभाष नं0 - 01368-223003 मो0 नं0- 9411112150

द्वितीय प्राधिकारी का पदनाम- संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी  
दूरभाष नं0-01368-223003 मो0 नं0 9411112160

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम- उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून  
दूरभाष नं0-0135-2608105, 0135-2608106

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून  
दूरभाष नं0-0135-2608105, 0135-2608106


परिवहन विभाग पौड़ी-

सेवाये	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समयसीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
वाहन का पंजीयन	संभागीय परिवहन अधिकारी या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा संभागीय निरीक्षक या सहायक संभागीय निरीक्षक जो संभागीय परिवहन अधिकारी या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा अनुज्ञापन	1. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम -47 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म सं0 20,21,22 और फार्म सं0 ए वाहन के बिल की मूल प्रति वैध बीमा की सत्यापित प्रति निवास प्रमाण पत्र एवं फोटो के प्रस्तुतीकरण के उपरांत अव्यावसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित	उ0 प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-35 के अन्तर्गत धारा 57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी संबन्धित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त


	प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो	शुल्क/कर जमा होने के उपरांत 02 दिन के अन्दर 2. व्यावसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क/कर/अति0 कर जमा होने के उपरांत के 04 दिन के अन्दर। 3. अन्य जिलों एवं राज्यों से अस्थायी पंजीयन लेकर आने वाले वाहनों के सम्बन्ध में यह अवधि आवेदन करने की तिथि से प्रपत्रों के सत्यापन के उपरांत 30 दिन के अन्तर्गत होगी।		
शिक्षार्थी लाईसेंस	संभागीय परिवहन अधिकारी या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा संभागीय निरीक्षक या सहायक संभागीय निरीक्षक जो संभागीय परिवहन अधिकारी या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम -10 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म सं0 01, 02 निवास प्रमाण पत्र, आयु के सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति 16-18 वर्ष मध्य की आयु वालों के सम्बन्ध में अभिभावक की सहमति व्यावसायिक शिक्षार्थी लाईसेंस हेतु कम से कम एक वर्ष पुराना वैध हल्का वाहन चालक लाईसेंस 02 नवीनतम फोटो प्रस्तुतीकरण एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत 03 दिन के अन्दर परीक्षा ली जायेगी तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से दो दिन बाद	उ0 प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-05 के अन्तर्गत धारा 09 की उपधारा 8 एवं धारा 17 की उपधारा 2 और धारा 19 की उपधारा 03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए संक्षम अधिकारी संबंधित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त
स्थायी लाईसेंस	संभागीय परिवहन अधिकारी या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा संभागीय निरीक्षक या सहायक संभागीय निरीक्षक जो संभागीय परिवहन अधिकारी या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम -14 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म सं0 04 वैध शिक्षार्थी लाईसेंस (न्यूनतम 30 दिन की अवधि पूर्ण होन पर) व्यावसायिक लाईसेंस के लिए फार्म सं0-05 पर मोटर चालक स्कूल का प्रमाण पत्र 02 नवीनतम फोटो एवं निर्धारित शुल्क जमा करने एवं परीक्षा	उ0 प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-05 के अन्तर्गत धारा 9 की उपधारा 08 एवं धारा 17 की उपधारा 2 और धारा 19 की उपधारा 03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए	परिवहन आयुक्त

(14)

	के द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो	उत्तीर्ण के दूसरे दिन।	सक्षम अधिकारी संबंधित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।	
फिटनेस	संभागीय परिवहन अधिकारी या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा संभागीय निरीक्षक या सहायक संभागीय निरीक्षक जो संभागीय परिवहन अधिकारी या सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम -62 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज वाहन निरीक्षण आख्या फार्म वैध बीमा प्रमाण पत्र नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र समस्त देयों के अनुसार प्रमाण पत्र चालन लम्बित न होने का प्रमाण पत्र के साथ वाहन निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर उसी दिन निरीक्षण कर दिया जायेगा। फिट पाये जाने पर दूसरे दिन फिटनेस जारी कर दी जायेगी। फिट नहीं पाये जाने पर सभी कमियों को एक मुश्त लिखित रूप में सूचित कर दिया जायेगा।	उ0 प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-35 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए सक्षम अधिकारी संबंधित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।	परिवहन आयुक्त

  
 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,  
 पौड़ी।

प्रतिलिपि:- संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय पौड़ी।

  
 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,  
 पौड़ी।